

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.)-462016 फोन नं. : (0755) 2464428, 2466191, Fax : 0755-2463742

E-mail: hsmd117@gmail.com

क्रमांक 1033/प्रनिबो/ज.स./2020 भोपाल, दिनांक 02.01:2020

# वैधानिक सूचना

#### मध्यप्रदेश स्थित समस्त दूषितजल उपचार संयंत्र (ईटीपी)/घरेलू जल-मल उपचार संयंत्र (एसटीपी)/संयुक्त दूषितजल उपचार संयंत्र (सीईटीपी) सर्वसंबंधितों को वैधानिक सूचना

. इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (ईटीपी), तीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एसटीपी), कॉमर्ने इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (तीईटीपी) के अधिष्ठाता/ऑपरेटर आदि सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण कमांक 593/2017 (पर्यावरण सुरक्षा समिति विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में पारित आदेश दि. 28.08.2019 के बिन्दु क्रमांक 21(ii) के अनुमार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जानी

"SPCBs/PCCs may ensure remedial action against non-compliant, CETPs or individual industries in terms of not having ETPs/fully compliant ETPs or operating without consent or in violation of consent conditions. This may be overseen by the CPCB. CPCB may continue to compile information on this subject and furnish quarterly reports to this Tribunal which may also be uploaded on its wabsite."

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बीर्ड द्वारा समस्त उद्योगों/संस्थानों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार माननीय अधिकरण के निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करें अन्यथा विना इपल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (ईटीपी), कॉमन इपल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (सीईटीपी) अथवा उचित इपल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट न होने पर अथवा निर्धारित मानकों का उल्लंघन कर संचालन करने पर बीर्ड द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

 माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/08/2019 के बिन्दु क्रमांक 21 (iii) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है:-

"All the Local Bodies and or the concerned departments of the State Government have to ensure 100% treatment of the generated sewage and in default to pay compensation which is to be recovered by the States/UTs, with effect from 01/04/2020. In default of such collection, the States/UTs are liable to pay such compensation. The CPCB is to collect the same and utilize for restoration of the environment."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के पालन हेतु प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा सीवेज का 100 प्रतिशत उपचार दिनांक 31 मार्च 2020 तक सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना है।

 पुनः माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2019 के बिन्दु क्रमांक 47 (i) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है:-

"100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/ UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं करने या उल्लंघन करते पाये जाने पर नियमानुसार इन्यायरमेन्टल कम्पनसेशन (Environmental Compensation) अधिरोपित कर वसूली की जावेगी।

म.प्र. माध्यमः १६३२७/२०२०

सदस्य सचिव

द्विनक शास्त्रय विदेवाडा 05/04/2



पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.)-462016 फोन नं. : (0755) 2464428, 2466191, Fax : 0755-2463742

E-mail: hsmd117@gmail.com

क्रमांक 1033/प्रनिबो/ज.स./2020

भोपाल, दिनांक 02.01.2020

### वैधानिक सूचना

मध्यप्रदेश स्थित समस्त दूषितजल उपचार संयंत्र (ईटापी)/घरेलू जल-मल उपचार संयंत्र (एसटीपी)/संयुक्त दूषितजल उपचार संयंत्र (सीईटीपी) सर्वसंबंधितों को वैधानिक सूचना

इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (ईटीपी), सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एसटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (सीइंटीपी) के अधिष्ठाता/ऑपरेटर आदि सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजींटी), नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 593/2017 (पर्यावरण सुरक्षा समिति विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में पारित आदेश दि. 28.08.2019 के विन्दु क्रमांक 21(ii) के अनुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जानी

"SPCBs/PCCs may ensure remedial action against non-compliant CETPs or individual industries in terms of not having ETPs/fully compliant ETPs or operating without consent or in violation of consent conditions. This may be overseen by the CPCB. CPCB may continue to compile information on this subject and furnish quarterly reports to this Tribunal which may also be uploaded on its website."

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त उद्योगों/संस्थानों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार माननीय अधिकरण के निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करें अन्यथा विना इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (ईटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (सीईटीपी) अथवा उचित इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट न होने पर अधवा निर्धारित मानकों का उल्लंघन कर संचालन करने पर बोर्ड द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/08/2019 के बिन्द् कमांक 21 (iii) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है :-

"All the Local Bodies and or the concerned departments of the State Government have to ensure 100% treatment of the generated sewage and in default to pay compensation which is to be recovered by the States/UTs, with effect from 01/04/2020. In default of such collection, the States/UTs are liable to pay such compensation. The CPCB is to collect the same and utilize for restoration of the environment."


माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के पालन हेतु प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा सीवेज का 100 प्रतिशत उपचार दिनांक 31 मार्च 2020 तक सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना है।

पुनः माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2019 के बिन्दु क्रमांक 47 (i) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है :-

"100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/ UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं करने या उल्लंघन करते पाये जाने पर नियमानुसार इन्वायरमेन्टल कम्पनसंशन (Environmental Compensation) अधिरोपित कर वसूली की जावेगी।

म.प्र. माध्यम/96327/2020





पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.)-462016 फोन नं : (0755) 2464428, 2466191, Fax: 0755-2463742

E-mail: hsmd117@gmail.com

क्रमांक 1033/प्रनिबो/ज.स./2020

भोपाल, दिनांक 02.01.2020

### वैधानिक सूचना

मध्यप्रदेश स्थित समस्त दूषितजल उपचार संयंत्र (ईटीपी)/घरेलू जल-मल उपचार संयंत्र (एसटीपी)/संयुक्त दूषितजल उपचार संयंत्र (सीईटीपी) सर्वसंबंधितों को वैधानिक सूचना

इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (ईटीपी), सीबेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एसटीपी), कॉमन इपल्यूगन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (सीईटीपी) के अधिष्ठाता/ऑपरेटर आदि सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 593/2017 (पर्यावरण सुरक्षा समिति विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में पारित आदेश दि. 28.08.2019 के विन्दु क्रमांक 21(ii) के अनुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जानी

"SPCBs/PCCs may ensure remedial action against non-compliant CETPs or individual industries in terms of not having ETPs/fully compliant ETPs or operating without consent or in violation of consent conditions. This may be overseen by the CPCB. CPCB may continue to compile information on this subject and furnish quarterly reports to this Tribunal which may also be uploaded on

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त उद्योगों संस्थानों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार माननीय अधिकरण के निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करें अन्यथा बिना इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (ईटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (सीईटीपी) अथवा उचित इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट न होने पर अथवा निर्धारित मानकों का उल्लंघन कर संचालन करने पर बोर्ड द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/08/2019 के बिन्दु कमांक 21 (iii) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है :-

"All the Local Bodies and or the concerned departments of the State Government have to ensure 100% treatment of the generated sewage and in default to pay compensation which is to be recovered by the States/UTs, with effect from 01/04/2020. In default of such collection, the States/UTs are liable to pay such compensation. The CPCB is to collect the same and utilize for restoration of the environment."


माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के पालन हेतु प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा सीवेज का 100 प्रतिशत उपचार दिनांक 31 मार्च 2020 तक सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना है।

पुनः माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2019 के बिन्दु क्रमांक 47 (i) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है :-

"100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/ UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं करने या उल्लंघन करते पाये जाने पर नियमानुसार इन्यायरमेन्टल कम्पनसेशन (Environmental Compensation) अधिरोपित कर वसूली की जावेगी।

म.प्र. माध्यम/96327/2020





भोपाल, दिनांक 02.01.2020 क्रमांक-1033/प्रनिबो/ज.स./2020

#### वैधानिक स्चना

मध्यप्रदेश स्थित समस्त दूषितजलै उपचार संयंत्र (ईटीपी)/घरेल् जल-मल उपचार संयंत्र (एसटीपी)/संयुक्त दूषितजल उपचार संयंत्र (सीईटीपी) सर्वसंबंधितों को वैधानिक सूचना

इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (ईटीपी), सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एसटीपी), कॉमन इफल्यूपन्ट ट्रांटमेन्ट प्लांट (सीईटीपी) के अधिप्ठाता/अपिंग्टर आदि सर्वसंबंधितों को सुचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 593/2017 (पर्यावरण सुरक्षा समिति विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में पारित आंदश दि. 28:08:2019 के बिन्द क्रमांक 21(ii) के अनुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जानी

"SPCBs/PCCs may ensure remedial action against non-compliant CETPs or individual industries in terms of not having ETPs/fully compliant ETPs or operating without consent or in violation of consent conditions. This may be overseen by the CPCB, CPCB may continue to compile information on this subject and furnish quarterly reports to this Tribunai which may also be uploaded on

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त उद्योगीं संस्थानी को सुचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार माननीय अधिकरण के निर्देशों का परिपालन सनिश्चित करं अन्यया बिना इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (इंट्रीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमन्ट प्लांट (सीईटीपी) अथवा उचित इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट न होने पर अथवा निर्धारित मानकों का उल्लंघन कर संचालन करने पर बोर्ड द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/08/2019 के विन्दु कंपांक 21 (iii) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है :-

"All the Local Bodies and or the concerned departments of the State Government have to ensure 100% treatment of the generated sewage and in default to pay compensation which is fo be recovered by the States/UTs, with effect from 01/04/2020. In default of such collection, the States/UTs are liable to pay such compensation. The CPCB is to collect the same and utilize for restoration of the environment."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के पालन हेतु प्रवेश के नगरीय निकायों डाग सीवेज का 100 प्रतिशत उपचार दिनांक 31 मार्च 2020 तक सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना है।

पुनः माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2019 के बिन्दु क्रमांक 47 (i) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है :-

"100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local hodies and the concerned departments of the States? UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं करने या उल्लंघन करते पांचे जान पर निवमानुसार इन्वायरमेन्टलं कस्पनसेशन (Environmental Compensation) अधिरोपित कर वसूली की जायेगी।

म प् माध्यम 96327/2020

्राध्यप्रदेश प्रवृ पर्यावरण परिसर, इ

ध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पैयोवरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.)-462016 फोन नं. : (0755) 2464428, 2466191, Fax : 0755-2468742

E-mail: hsmd117@gmail.com

क्रमांक 1033/प्रनिबो/ज.स./2020

भोपाल, दिनांक 02.01.2020

# वैधानिक सूचना

मध्यप्रदेश स्थित समस्त दूषितजल उपचार संयंत्र (ईटीपी)/घरेलू जल-मल उपचार संयंत्र (एसटीपी)/संयुक्त दूषितजल उपचार संयंत्र (सीईटीपी) सर्वसंबंधितों को वैधानिक सूचना

इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (इंटीपी), सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एसटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (सीइंटीपी) के अधिष्ठाता/ऑपरेटर आदि सर्वसंविदितों को मूचित किया जाता है कि माननीय सष्ट्रीय इंग्ति अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण कमांक 593/2017 (पर्यावरण सुरक्षा समिति विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में पारित आदेश दि. 28.08.2019 के बिन्दु क्रमांक 21(ii) के अनुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जानी

"SPCBs/PCCs may ensure remedial action against non-compliant CETPs or individual industries in terms of not having ETPs/fully compliant ETPs or operating without consent or in violation of consent conditions. This may be overseen by the CPCB. CPCB may continue to compile information on this subject and furnish quarterly reports to this Tribunal which may also be uploaded on its subject."

मध्यप्रदेश प्रदूषण निसंचण वार्ड द्वारा समस्त उद्योगों/संस्थानों को सुचित. किया जाता है कि उपरोक्तानुसार माननीय अधिकरण के निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित को अन्यथा बिना इफल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (ईटीपी), कॉमन इफल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (सीईटीपी) अथवा उचित इफल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट न होने पर अथवा निर्धारित मानेकों का उल्लंबन कर संचालन करने पर बोर्ड द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

 माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/08/2019 के बिन्दु क्सांक 21 (iii) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों का निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है:-

"All the Local Bodies and or the concerned departments of the State Government have to ensure 100% treatment of the generated sewage and in default to pay compensation which is to be recovered by the States/UTs, with effect from 01/04/2020. In default of such collection, the States/UTs are liable to pay such compensation. The CPCB is to collect the same and utilize for restoration of the environment."


माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के पालन हेतु प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा सीवेज का 100 प्रतिशत उपचार दिनांक 31 मार्च 2020 तक सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना है।

पुनः माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2019 के विन्दु क्यांक 47 (i) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है :-

"100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/ UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश का पातून नहीं करने या उल्लंघन करते पाये जाने पर नियमानुसार उन्वायरमेन्टल केम्पनसेशन (Environmental Compensation) अधिरापित कर वसूर्ता की जायेगी।

н.у. <del>чисан</del>/96327/2020



पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.)-462016 फोन नं. : (0755) 2464428, 2466191, Fax : 0755-2468742

E-mail: hsmd117@gmail.com

क्रमांक 1033/प्रनिबो/ज.स./2020

भोपाल, दिनांक 02.01.2020

#### वैधानिक सूचना

मध्यप्रदेश स्थित समस्त दूषितजल उपचार संयंत्र (ईटीपी)/घरेलू जल-मल उपचार संयंत्र (एसटीपी)/संयुक्त दूषितजल उपचार संयंत्र (सीईटीपी) सर्वसंबंधितों को वैधानिक सूचना

इफ्ल्यूएन्द ट्रीटमेन्ट प्लांट (ईटीपी), सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एसटीपी), कॉमन इफ्ल्युएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (सीईटीपी) के अधिष्ठाता/ऑपरेटर आदि सर्वसर्वाधती को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नर्ड दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 593/2017 (पर्यावरण सुरक्षा समिति विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में पारित आदेश दि. 28.08.2019 के बिन्दु क्रमांक 21(ii) के अनुसार निम्न कार्यबाही सुनिश्चित की जानी

"SPCBs/PCCs may ensure remedial action against non-compliant CETPs or individual industries in terms of not having ETPs/fully compliant ETPs or operating without consent or in violation of consent conditions. This may be overseen by the CPCB. CPCB may continue to compile information on this subject and furnish quarterly reports to this Tribunal which may also be uploaded on

its website."

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त उद्योगीं/संस्थानीं को सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार माननीय अधिकरण के निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करें अन्यथा बिना इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (ईटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (सीईटीपी) अथवा उचित इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट न होने पर अथवा निर्धारित मानकों का उल्लंघन कर संचालन करने पर बोर्ड द्वारा वैधानिक कार्यबाही की जावेगी।

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/08/2019 के बिन्दु क्रमांक 21 (iii) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों

के परिपालन की कार्यवाही की जाना है :-

"All the Local Bodies and or the concerned departments of the State Government have to ensure 100% treatment of the generated sewage and in default to pay compensation which is to be recovered by the States/UTs, with effect from 01/04/2020. In default of such collection, the States/UTs are liable to pay such compensation. The CPCB is to collect the same and utilize for restoration of the environment."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के पालन हेतु प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा सीवेज का 100 प्रतिशत उपचार दिनांक \$1 मार्च 2020 तक सुनिश्चित करावे जाने हेतु आवश्यक कार्ववाही किया जाना है।

पुनः माननीय अधिकरण द्वारा पारित आर्देश दिनांक 06.12.2019 के बिन्दु क्रमांक 47 (i) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों

के परिपालन की कार्यवाही की जाना है :-

"100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/ UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22:08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 \* lakhs per STP for default in commencement of setting up of the


माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं करने या उल्लंबन करते

पांचे जाने पर नियमानुसार इन्वायरमेन्टल कम्पनसेशन (Environmental Compensation) अधिरोपित कर बसूली की जावेगी।

म.प्र. माध्यम/96327/2020

सदस्य सचिव

कि भास्कर सागर 05/04/2020



पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.)-462016 फोन नं. : (0755) 2464428, 2466191, Fax: 0755-2463742

E-mail: hsmd117@gmail.com

क्रमांक 1033/प्रनिबो/ज.स./2020

भोपान, दिनांक 02.01.2020

#### वैधानिक सचना

मध्यप्रदेश स्थित समस्त दूषितजल उपचार संयंत्र (ईटीपी)/घरेलू जल-मल उपचार संयंत्र (एसटीपी)/संयुक्त दूषितजल उपचार संयंत्र (सीईटीपी) सर्वसंबंधितों को वैधानिक सूचना

इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (ईटीपी), सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांढ (एसटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (सीइंटीपी) के अधिष्ठाता/ऑपरेटर आदि सर्वसंबंधितों को सचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 593/2017 (पर्यावरण सुरक्षा समिति विरुद्ध वनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में पारित आदेश दि. 28.08.2019 के बिन्द क्रमांक 21(ii) के अनुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जानी

"SPCBs/PCCs may ensure remedial action against non-compliant CETPs or individual industries in terms of not having ETPs/fully compliant ETPs or operating without consent or in violation of consent conditions. This may be overseen by the CPCB. CPCB may continue to compile information on this subject and furnish quarterly reports to this Tribunal which may also be uploaded on

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त उद्योगों/संस्थानी को सुचित किया जाता है कि उपरोक्तानसार माननीय अधिकरण के निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करें अन्यथा बिना इफल्युएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (ईटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (सीइंटीपी) अथवा उचित इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट न होने पर अथवा निर्धारित मानकों का उल्लंघन कर संचालन करने

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/08/2019 के बिन्द कमांक 21 (iii) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों

"All the Local Bodies and or the concerned departments of the State Government have to ensure 100% treatment of the generated sewage and in default to pay compensation which is to be recovered by the States/UTs, with effect from 01/04/2020. In default of such collection, the States/UTs are liable to pay such compensation. The CPCB is to collect the same and utilize for

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के पालन हेतु प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा सीवेज का 100 प्रतिशत उपचार दिनांक 31 मार्च 2020 तक सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना है।

प्नः माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांकै 06.12.2019 के बिन्दु क्रमांक 47 (i) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों

"100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local hodies and the concerned departments of the States/ UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ reprediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं करने या उल्लंधन करते पाये जाने पर नियमानुसार इन्वायरमेन्टल कंग्पनसेशन (Environmental Compensation) अधिरोपित कर वसूली की जावेगी।

म.प्र. माध्यम/96327/2020



पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.)-462016 फोन नं.: (0755) 2464428, 2466191, Fax: 0755-2463742 E-mail: hsmd117@gmail.com

क्रमांक 1033/प्रनिबो/ज.स./2020

भोपाल, दिनांक 02.01.2020

### ्रवैधानिक सूचना

मध्यप्रदेश स्थित समस्त दूषितजल उपचार संयंत्र (ईटीपी)/घरेलू जल-मल उपचार संयंत्र (एसटीपी)/संयुक्त दूषितजल उपचार संयंत्र (सीईटीपी) सर्वसंबंधितों को वैधानिक सचना

इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (ईटीपी), सीबेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एसटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (सीईटीपी) के अधिष्यता ऑपरेटर आदि सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में प्रचित्तत प्रकरण कमांक 593/2017 (पर्यावरण सुरक्षा समिति विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में पारित आदेश दि. 28.08.2019 के बिन्दु क्रमांक 21(ii) के अनुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है :-

"SPCBs/PCCs may ensure remedial action against non-compliant CETPs or individual industries in terms of not having ETPs/fully compliant ETPs or operating without consent or in violation of consent conditions. This may be overseen by the CPCB. CPCB may continue to compile information on this subject and furnish quarterly reports to this Tribunal which may also be uploaded on its website."

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त उद्योगों.संस्थानों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार माननीय अधिकरण के निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करें अन्यथा विना इफल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (ईटीपी), कॉमन इफल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (सीईटीपी) अथवा उचित इफल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट न होने पर अथवा निर्धारित मानकों का उल्लंधन कर संचालन करने पर बोर्ड द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

 माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/08/2019 के बिन्दु कमांक 21 (iii) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है:-

"All the Local Bodies and or the concerned departments of the State Government have to ensure 100% treatment of the generated sewage and in default to pay compensation which is to be recovered by the States/UTs, with effect from 01/04/2020. In default of such collection, the States/UTs are liable to pay such compensation. The CPCB is to collect the same and utilize for restoration of the environment."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के पालन हेतु प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा सीवेज का 100 प्रतिशत उपचार दिनांक 31 मार्च 2020 तक सनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना है।

3. पुनः माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2019 के बिन्दु क्रमांक 47 (i) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है :-

"100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/ UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं करने या उल्लंबन करते राये जाने पर नियमानुसार इन्वायरमेन्टल कम्पनसंशन (Environmental Compensation) अधिरोपित कर यसली की जावेगी।

म.प्र. माध्यम 96327 2020

सदस्य सचिव

8 निक्रभास्क्र , शिंगशैसी 05/10/2020



पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.)-462016 फोन नं. : (0755) 2464428, 2466191, Fax : 0755-2463742

E-mail: hsmd117@gmail.com

क्रमांक 1033/प्रनिबो/ज.स./2020

भोपाल, दिनांक 02.01.2020

### वैधानिक सूचना

मध्यप्रदेश स्थित समस्त दूषितजल उपचार संयंत्र (ईटीपी)/घरेलू जल-मल उपचार संयंत्र (एसटीपी)/संयुक्त दूषितजल उपचार संयंत्र (सीईटीपी) सर्वसंबंधितों को वैधानिक सूचना

इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (ईटीपी), सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एसटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (सीईटीपी) के अधिष्ठाता/ऑपरेटर आदि सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 593/2017 (पर्यावरण सुरक्षा समिति विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में पारित आदेश दि. 28.08.2019 के बिन्दु क्रमांक 21(ii) के अनुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है:-

"SPCBs/PCCs may ensure remedial action against non-compliant CETPs or individual industries in terms of not having ETPs/fully compliant ETPs or operating without consent or in violation of consent conditions. This may be overseen by the CPCB. CPCB may continue to compile information on this subject and furnish quarterly reports to this Tribunal which may also be uploaded on its website."

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त उद्योगों/संस्थानों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार माननीय अधिकरण के निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करें अन्यथा बिना इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (ईटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (सीईटीपी) अथवा उचित इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट न होने पर अथवा निर्धारित मानकों का उल्लंधन कर संचालन करने पर बोर्ड द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

 माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/08/2019 के बिन्दु क्रमांक 21 (iii) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है:-

"All the Local Bodies and or the concerned departments of the State Government have to ensure 100% treatment of the generated sewage and in default to pay compensation which is to be recovered by the States/UTs, with effect from 01/04/2020. In default of such collection, the States/UTs are liable to pay such compensation. The CPCB is to collect the same and utilize for restoration of the environment."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के पालन हेतु प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा सीवेज का 100 प्रतिशत उपचार दिनांक 31 मार्च 2020 तक सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना है।

3. पुनः माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2019 के बिन्दु क्रमांक 47 (i) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है:-

"100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/ UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं करने या उल्लंघन करते पाये जाने पर नियमानुसार इन्वायरमेन्टल कम्पनसेशन (Environmental Compensation) अधिरोपित कर बसली की जावेगी।

म.प्र. माध्यम/96327/2020

सदस्य सचिव

हैनिक भास्कर ,सतना 05/व/2020

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.)-462016 फोन नं. : (0755) 2464428, 2466191, Fax : 0755-2463742

E-mail: hsmd117@gmail.com

क्रमांक 1033/प्रनिबो/ज.स./2020

भोपाल, दिनांक 02.01.2020

# वैधानिक सूचना

मध्यप्रदेश स्थित समस्त दूषितजल उपचार संयंत्र (ईटीपी)/घरेलू जल-मल उपचार संयंत्र (एसटीपी)/संयुक्त दूषितजल उपचार संयंत्र (सीईटीपी) सर्वसंबंधितों को वैधानिक सूचना

इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (ईटीपी), सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एसटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (सीईटीपी) के अधिष्ठाता/ऑपरेटर आदि सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 593/2017 (पर्यावरण सुरक्षा समिति विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में पारित आदेश दि. 28.08.2019 के बिन्दु क्रमांक 21(ii) के अनुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जानी

"SPCBs/PCCs may ensure remedial action against non-compliant CETPs or individual industries in terms of not having ETPs/fully compliant ETPs or operating without consent or in violation of consent conditions. This may be overseen by the CPCB. CPCB may continue to compile information on this subject and furnish quarterly reports to this Tribunal which may also be uploaded on its website."

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त उद्योगों/संस्थानों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार माननीय अधिकरण के निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करें अन्यथा विना इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (ईटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (सीईटीपी) अथवा उचित इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट न होने पर अथवा निर्धारित मानकों का उल्लंघन कर संचालन करने पर बोर्ड द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

 माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/08/2019 के बिन्दु कमांक 21 (iii) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है :-

"All the Local Bodies and or the concerned departments of the State Government have to ensure 100% treatment of the generated sewage and in default to pay compensation which is to be recovered by the States/UTs, with effect from 01/04/2020. In default of such collection, the States/UTs are liable to pay such compensation. The CPCB is to collect the same and utilize for restoration of the environment."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के पालन हेतु प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा सीवेज का 100 प्रतिशत उपचार दिनांक 31 मार्च 2020 तक सनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना है।

 पुनः माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2019 के बिन्दु क्रमांक 47 (i) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है :-


"100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/ UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the CTP."

पाननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं करने या उल्लंघन करते पाये जाने पर नियमानुसार इन्यायरमेन्टल कम्पनसंशन (Environmental Compensation) अधिरोपित कर वसुली की जावेगी।

म.प्र. माध्यम/96327/2020

सदस्य सचिव

हैनिक भास्कर जबनपुर ० डीन १०००



पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.)-462016 फोन नं. : (0755) 2464428, 2466191, Fax : 0755-2463742

E-mail: hsmd117@gmail.com

क्रमांक 1033/प्रनिबो/ज.स./2020

भोपाल, दिनांक 02.01.2020

# वैधानिक सूचना

मध्यप्रदेश स्थित समस्त दूषितजल उपचार संयंत्र (ईटीपी)/घरेलू जल-मल उपचार संयंत्र (एसटीपी)/संयुक्त दूषितजल उपचार संयंत्र (सीईटीपी) सर्वसंबंधितों को वैधानिक सूचना

 इफल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (इंटीपी), सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एसटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (सीईटीपी) के अधिष्ठाता/ऑपरेटर आदि सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), मई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण कमांक 593/2017 (प्यावरण सुरक्षा समिति विरुद्ध यूनियन ऑफ डॉडिया एवं अन्य) में पारित आदेश दि. 28.08.2019 के बिन्दु कमांक 21(ii) के अनुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जानी

"SPCBs/PCCs may ensure remedial action against non-compliant CETPs or individual industries in terms of not having ETPs/fully compliant ETPs or operating without consent or in violation of consent conditions. This may be overseen by the CPCB. CPCB may continue to compile information on this subject and furnish quarterly reports to this Tribunal which may also be uploaded on its markets?"

मध्यप्रदेश प्रदूषण निवंत्रण वोर्ड द्वारा समस्त उद्योगों/संस्थानों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार माननीय अधिकरण के निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करें अन्यथा बिना इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (ईंटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (सीईटीपी) अथवा उचित इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट न होने पर अथवा निर्धारित मानकों का उल्लंघन कर संचालन करने पर वोर्ड द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

 मार्ननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/08/2019 के बिन्दु क्रमांक 21 (iii) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है :-

"All the Local Bodies and or the concerned departments of the State Government have to ensure 100% treatment of the generated sewage and in default to pay compensation which is to be recovered by the States/UTs, with effect from 01/04/2020. In default of such collection, the States/UTs are liable to pay such compensation. The CPCB is to collect the same and utilize for restoration of the environment."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के पालन हेतु प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा सीवेज का 100 प्रतिशत उपचार दिनांक 31 मार्च 2020 तक सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना है।

 पुन: माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2019 के बिन्दु क्रमांक 47 (i) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है:-

"100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/ UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं करने या उल्लंबन करते पाये जाने पर नियमानुसार इन्यायरमेन्टल कम्पनसंशन (Environmental Compensation) अधिरोपित कर वसूली की जावेगी।

म.प्र. माध्यम/96327/2020



पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.)-462016 फोन नं. : (0755) 2464428, 2466191, Fax : 0755-2468742

E-mail: hsmd117@gmail.com

क्रमांक 1033/प्रनिबो/ज.स./2029

भोपाल, दिनांक 02.01.2020

### वैधानिक सूचना

मध्यप्रदेश स्थित समस्त दूषितजल उपचार संयंत्र (ईटीपी)/घरेलू जल-मल उपचार संयंत्र (एसटीपी)/संयुक्त दूषितजल उपचार संयंत्र (सीईटीपी) सर्वसंबंधितों को वैधानिक सूचना

इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (ईटीपी), सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एसटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (सीईटीपी) के अधिष्ठाता/ऑपरेटर आदि सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 593/2017 (पर्यावरण सुरक्षा समिति विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में पारित आदेश दि. 28.08.2019 के बिन्दु क्रमांक 21(ii) के अनुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है :-

"SPCBs/PCCs may ensure remedial action against non-compliant CETPs or individual industries in terms of not having ETPs/fully compliant ETPs or operating without consent or in violation of consent conditions. This may be overseen by the CPCB. CPCB may continue to compile information on this subject and furnish quarterly reports to this Tribunal which may also be uploaded on its probests."

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त उद्योगों संस्थानों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार माननीय अधिकरण के निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करें अन्यथा बिना इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (इंटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (सीईटीपी) अथवा उचित इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट न होने पर अथवा निर्धारित मानकों का उल्लंघन कर संचालन करने पर बोर्ड द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/08/2019 के बिन्दु कमांक 21 (iii) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है :-

"All the Local Bodies and or the concerned departments of the State Government have to ensure 100% treatment of the generated sewage and in default to pay compensation which is to be recovered by the States/UTs, with effect from 01/04/2020. In default of such collection, the States/UTs are liable to pay such compensation. The CPCB is to collect the same and utilize for restoration of the environment."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के पालन हेतु प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा सीवेज का 100 प्रतिशत उपचार दिनांक 31 मार्च 2020 तक सनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना है।

. पुन: माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2019 के बिन्दु क्रमांक 47 (i) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है :-

"100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/ UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं करने या उल्लंघन करते पार्य जाने पर नियमानुसार इन्यायरमेन्टल कम्पनसेशन (Environmental Compensation) अधिरोपित कर वसूली की जावेगी।

म.प्र. माध्यम/96327/2020

सदस्य सचिव

पात्रिका जबलपुर ०5/01/2020



पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.)-462016 फोन नं. : (0755) 2464428, 2466191, Fax : 0755-2463742

E-mail: hsmd117@gmail.com

क्रमांक 1088/प्रनिबो/ज.स./2020

भोपाल, दिनांक 02.01.2020

### वैधानिक सचना

मध्यप्रदेश स्थित समस्त दूषितजल उपचार संयंत्र (ईटीपी)/घरेलू जल-मल उपचार संयंत्र (एसटीपी)/संयुक्त दूषितजल उपचार संयंत्र (सीईटीपी) सर्वसंबंधितों को वैधानिक सूचना

इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (इंटीपी), सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एसटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (सीइंटीपी) के अधिष्ठाता/ऑपरेटर आदि सर्वसंबंधितीं को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 593/2017 (पर्यावरण सुरक्षा समिति विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में पारित आदेश दि. 28.08.2019 के बिन्दु क्रमांक 21(ii) के अनुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जानी

"SPCBs/PCCs may ensure remedial action against non-compliant CETPs or individual industries in terms of not having ETPs/fully compliant ETPs or operating without consent or in violation of consent conditions. This may be overseen by the CPCB. CPCB may continue to compile information on this subject and furnish quarterly reports to this Tribunal which may also be uploaded on

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त उद्योगी/संस्थानी को सूचित किया जाता है कि उपराक्तानुसार माननीय अधिकरण के निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करें अन्यथा बिना इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (ईटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (सीईटीपी) अथवा उचित इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट न होने पर अथवा निर्धारित मानकों का उल्लंघन कर संचालन करने पर बोर्ड द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/08/2019 के विन्द क्रमांक 21 (iii) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों

के परिपालन की कार्यवाही की जाना है :-

"All the Local Bodies and or the concerned departments of the State Government have to ensure 100% treatment of the generated sewage and in default to pay compensation which is to be recovered by the States/UTs, with effect from 01/04/2020. In default of such collection, the States/UTs are liable to pay such compensation. The CPCB is to collect the same and utilize for restoration of the environment."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के पालन हेतु प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा सीवेज का 100 प्रतिशत उपचार दिनांक 31 मार्च 2020 तक सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना है।

पुनः माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2019 के बिन्दु क्रमांक 47 (i) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है :-

"100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/ UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आंदेश का पालन नहीं करने या उल्लंघन करते पाये जाने पर नियमानुसार इन्यायरमेन्टल क्रम्पनसेशन (Environmental Compensation) अधिरोपित कर वसूली की जावेगी।

म.प्र. माध्यम/96327/2020





पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.)-462016 फोन नं. : (0755) 2464428, 2466191, Fax : 0755-2463742

E-mail: hsmd117@gmail.com

क्रमांक 1033/प्रनिबो/ज.स./2020

भोपाल. दिनांक 02.01.2020

### वैधानिक सूचना

मध्यप्रदेश स्थित समस्त दूषितजल उपचार संयंत्र (ईटीपी)/घरेलू जल-मल उपचार संयंत्र (एसटीपी)/संयुक्त दूषितजल उपचार संयंत्र (सीईटीपी) सर्वसंबंधितों को वैधानिक सूचना

इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (ईटीपी), सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एसटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (सीईटीपी) के अधिष्ठाता/ऑपरेटर आदि सर्वसंबंधितीं को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 593/2017 (पर्यावरण सुरक्षा समिति विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में पारित आदेश दि. 28.08.2019 के बिन्दु क्रमांक 21(ii) के अनुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जानी

"SPCBs/PCCs may ensure remedial action against non-compliant CETPs or individual industries in terms of not having ETPs/fully compliant ETPs or operating without consent or in violation of consent conditions. This may be overseen by the CPCB. CPCB may continue to compile information on this subject and furnish quarterly reports to this Tribunal which may also be uploaded on its website.

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त उद्योगों/संस्थानों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार माननीय अधिकरण के निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करें अन्यथा बिना इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (ईटीपी), कॉमन इफल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (सीईटीपी) अथवा जीवत इफल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट न होने पर अथवा निर्धारित मानकों का उल्लंघन कर सेवालन करने पर बोर्ड द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/08/2019 के बिन्दु क्रमांक 21 (iii) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है :-

"All the Local Bodies and or the concerned departments of the State Government have to ensure 100% treatment of the generated sewage and in default to pay compensation which is to be recovered by the States/UTs, with effect from 01/04/2020. In default of such collection, the States/UTs are liable to pay such compensation. The CPCB is to collect the same and utilize for restoration of the environment."


माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के पालन हेतु प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा सीवेज का 100 प्रतिशत उपचार दिनांक 31 मार्च 2020 तक सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना है।

पुनः माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2019 के विन्दु क्रमांक 47 (i) के अनुसार समस्त नगरीय निकावों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है :-

"100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/ UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं करने या उल्लंघन करते पाये जाने पर नियमानुसार इन्वायरमेन्टल कम्पनसेशन (Environmental Compensation) अधिरोपित कर वसूली की जावेगी।

N



पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.)-462016 फोन नं. : (0755) 2464428, 2466191, Fax: 0755-2463742

E-mail : hsmd117@gmail.com

भोपाल, दिनांक 02.01.2020

#### क्रमांक 1033/प्रनिबो/ज.स./2020 वैधानिक सूचना

मध्यप्रदेश स्थित समस्त दूषितजल उपचार संमंत्र (ईटीपी)/घरेलू जल मल उपचार संयंत्र (एसटीपी)/संयुक्त दृषितजल उपचार संयंत्र (सीईटीपी) सर्वसंबंधितों को वैधानिक सूचना

इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लाट (ईटीपी), सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाट (एसटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (सीईटीपी) के अधिष्ठाता/ऑपरेटर आदि सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 593/2017 (पर्यावरण सुरक्षा समिति विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में पारित आदेश दि. 28.08.2019 के बिन्दु क्रमांक 21(ii) के अनुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जानी

"SPCBs/PCCs may ensure remedial action against non-compliant CETPs or individual industries in terms of not having ETPs/fully compliant ETPs or operating without consent or in violation of consent conditions. This may be overseen by the CPCB. CPCB may continue to compile information on this subject and furnish quarterly reports to this Tribunal which may also be uploaded on

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त उद्योगों/संस्थानों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार माननीय अधिकरण के निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करें अन्यया बिना इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (ईटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (सीईटीपी) अथवा उचित इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट न होने पर अथवा निर्धारित मानकों का उल्लंघन कर संचालन करने पर बोर्ड द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/08/2019 के बिन्दु कमांक 21 (iii) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है :-

"All the Local Bodies and or the concerned departments of the State Government have to ensure 100% treatment of the generated sewage and in default to pay compensation which is to be recovered by the States/UTs, with effect from 01/04/2020. In default of such collection, the States/UTs are liable to pay such compensation. The CPCB is to collect the same and utilize for

restoration of the environment." माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के पालन हेतु प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा सीवेज का 100 प्रतिशत उपचार दिनांक 31 मार्च 2020 तक सुनिज्ञित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना है।

पुनः माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2019 के बिन्दु क्रमांक 47 (i) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है :-

"100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/ UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं करने या उल्लंघन करते पाये जाने पर नियमानुसार इन्वायरमेन्टल कम्पनसेशन (Environmental Compensation) अधिरोपित कर वसूली की जावेगी।

म.प्र. माध्यम/96327/2020

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.)-462016 फोन नं. : (0755) 2464428, 2466191, Fax : 0755-2463742

E-mail: hsmd117@gmail.com

क्रमांक 1033/प्रनिबो/ज.स./2020

भोपाल, दिनांक 02.01.2020

#### वैधानिक सूचना

मध्यप्रदेश स्थित समस्त दूषितजल उपचार संयंत्र (ईटीपी)/घरेलू जल-मल उपचार संयंत्र (एसटीपी)/संयुक्त दूषितजल उपचार संयंत्र (सीईटीपी) सर्वसंबंधितों को वैधानिक सूचना

इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (ईटीपी), सीवंज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एसटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (सीईटीपी) के अधिष्ठाता/ऑपरेटर आदि सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण कमांक 593/2017 (पर्यावरण सुरक्षा समिति विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में पारित आदेश दि. 28.08.2019 के बिन्दु क्रमांक 21(ii) के अनुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जानी

"SPCBs/PCCs may ensure remedial action against non-compliant CETPs or individual industries in terms of not having ETPs/fully compliant ETPs or operating without consent or in violation of consent conditions. This may be overseen by the CPCB. CPCB may continue to compile information on this subject and furnish quarterly reports to this Tribunal which may also be uploaded on

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त उद्योगों/संस्थानों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार माननीय अधिकरण के निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करें अन्यथा बिना इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (ईटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (सीईटीपी) अथवा उचित इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (सीईटीपी) अथवा उचित इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट न होने पर अथवा निर्धारित मानकों का उल्लंबन कर संचालन करने पर बोर्ड द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

 माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/08/2019 के बिन्दु क्रमांक 21 (iii) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है :-

"All the Local Bodies and or the concerned departments of the State Government have to ensure 100% treatment of the generated sewage and in default to pay compensation which is to be recovered by the States/UTs, with effect from 01/04/2020. In default of such collection, the States/UTs are liable to pay such compensation. The CPCB is to collect the same and utilize for restoration of the environment."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के पालन हेतु प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा सीवेज का 100 प्रतिशत उपचार दिनांक 31 मार्च 2020 तक सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना है।

पुना माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2019 के बिन्दु क्रमांक 47 (i) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है:-

"100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं करने या उल्लंघन करते पाये जाने पर नियमानुसार इन्यायरमेन्टल कम्पनसेशन (Environmental Compensation) अधिरोपित कर चस्ली की जावेगी।

म.प्र. माध्यम/96327/2020

सदस्य सचिव

व्हिनिक जागल मोपाल 05/04/2020



पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, मोपाल (म.प्र.)-462016 फोन नं : (0755) 2464428, 2466191, Fax: 0755-2468742

E-mail: hsmd117@gmail.com

क्रमांक 1033/प्रनिबो/ज.स./2020

मोपाल, दिनांक 02.01.2020

# वैधानिक सचना

मध्यप्रदेश स्थित समस्त दूषितजल उपचार संयंत्र (ईटीपी)/घरेलू जल-मल उपचार संयंत्र (एसटीपी)/संयुक्त दूषितजल उपचार संयंत्र (सीईटीपी) सर्वसंबंधितों को वैधानिक सूचना

 इफ्ल्यूए-ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (ईटीपी), सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एसटीपी), कॉमन इपल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (सीईटीपी) के अधिष्ठाता/ऑपरेटर आदि सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 593/2017 (पर्यावरण सुरक्षा समिति विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में पारित आदेश दि. 28.08.2019 के बिन्दु क्रमांक 21(ii) के अनुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जानी

"SPCBs/PCCs may ensure remedial action against non-compliant CETPs or individual industries in terms of not having ETPs/fully compliant ETPs or operating without consent or in violation of consent conditions. This may be overseen by the CPCB, CPCB may continue to compile information on this subject and furnish quarterly reports to this Tribunal which may also be uploaded on

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त उद्योगों/संस्थानों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार माननीय अधिकरण के निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करें अन्यथा बिना इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (ईटीपी), कॉमन इफल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (सीईटीपी) अथवा उचित इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट न होने पर अथवा निर्धारित मानकों का उल्लंघन कर संचालन करने पर बोर्ड द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

 माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/08/2019 के बिन्दु कमांक 21 (iii) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों

के परिपालन की कार्यवाही की जाना है :-

"All the Local Bodies and or the concerned departments of the State Government have to ensure 100% treatment of the generated sewage and in default to pay compensation which is to be recovered by the States/UTs, with effect from 01/04/2020. In default of such collection, the States/UTs are liable to pay such compensation. The CPCB is to collect the same and utilize for restoration of the environment."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आंदेश के पालन हेतु प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा सीवेज का 100 प्रतिशत उपचार दिनांक 31 मार्च 2020 तक सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना है।

पुनः माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2019 के बिन्दु क्रमांक 47 (i) के अनुसार समस्त नगरीय निकावों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है :-

"100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/ UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22:08:2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आंदेश का पालन नहीं करने या उल्लंघन करते पायं जाने पर नियमानुसार इन्वायरमेन्टल कम्पनसेशन (Envigonmental Compensation) अधिरोपित कर वसूली की जावेगी।

म.प्र. माध्यम १९६३२७/२०२०

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.)-462016 फोन नं. : (0755) 2464428, 2466191, Fax : 0755-2463742

E-mail: hsmd117@gmail.com

क्रमांक 1033/प्रनिबो/ज.स./2020

भोपाल, दिनांक 02.01.2020

# वैधानिक सूचना

मध्यप्रदेश स्थित समस्त दूषितजल उपचार संयंत्र (ईटीपी)/घरेलू जल-मल उपचार संयंत्र (एसटीपी)/संयुक्त दूषितजल् उपचार संयंत्र (सीईटीपी) सर्वसंबंधितों को वैधानिक सूचना

 इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (ईटीपी), सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एसुटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (सीईटीपी) के अधिष्ठाता/ऑपरेटर आदि सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 593/2017 (पर्यावरण सुरक्षा समिति विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में पारित आदेश दि. 28.08.2019 के विन्दु क्रमांक 21(ii) के अनुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जानी

"SPCBs/PCCs may ensure remedial action against non-compliant CETPs or individual industries in terms of not having ETPs/fully compliant ETPs or operating without consent or in violation of consent conditions. This may be overseen by the CPCB, CPCB may continue to compile information on this subject and furnish quarterly reports to this Tribunal which may also be uploaded on its website."

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त उद्योगों/संस्थानों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार माननीय अधिकरण के निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करें अन्यथा बिना इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (ईटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लॉट (सीईटीपी) अथवा उचित इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट न होने पर अथवा निर्धारित मानकों का उल्लंघन कर संचालन करने पर बोर्ड द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

2. माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/08/2019 के बिन्दु कमांक 21 (iii) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है :-

"All the Local Bodies and or the concerned departments of the State Government have to ensure 100% treatment of the generated sewage and in default to pay compensation which is to be recovered by the States/UTs, with effect from 01/04/2020. In default of such collection, the States/UTs are liable to pay such compensation. The CPCB is to collect the same and utilize for

restoration of the environment.' माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के पालन हेतु प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा सीवेज का 100 प्रतिशत उपचार दिनांक 31 मार्च 2020 तक मुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना है।

पुनः माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2019 के विन्दु क्रमांक 47 (i) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है :-

"100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08,2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/ UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs, 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the

माननीय अधिकरण द्वारा पुरित, आदेश का पालन नहीं करने या उल्लंघन करते पाय जाने पर निवमान्सीर इन्यायरमेन्टल कम्पनसेशन (Environmental Compensation) अधिरोपित कर वसूली की जावेगी। सदस्य सचिव

म.प. माध्यम/96327/2020

समाचार ,ग्वालियर 05/01/2020



पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.)-462016 फोन नं. : (0755) 2464428, 2466191, Fax : 0755-2463742

E-mail: hsmd117@gmail.com

क्रमांक 1033/प्रनिबो/ज.स./2020 - भोपाल, दिनांक 02.01.2020

# वैधानिक सूचना

मध्यप्रदेश स्थित समस्त दूषितजल उपचार संयंत्र (ईटीपी)/घरेलू जल-मल उपचार संयंत्र (एसटीपी)/संयुक्त दूषितजल उपचार संयंत्र (सीईटीपी) सर्वसंबंधितों को वैधानिक सूचना

इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (ईटीपी), सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एसटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (सीइंटीपी) के अधिष्ठाता/ऑपरेटर आदि सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 593/2017 (पर्यावरण सुरक्षा समिति विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में पारित आदेश दि. 28.08.2019 के बिन्दु क्रमांक 21(ii) के अनुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जानी

"SPCBs/PCCs may ensure remedial action against non-compliant CETPs or individual industries in terms of not having ETPs/fully compliant ETPs or operating without consent or in violation of consent conditions. This may be overseen by the CPCB. CPCB may continue to compile information on this subject and furnish quarterly reports to this Tribunal which may also be uploaded on its website."

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त उद्योगों संस्थानों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार माननीय अधिकरण के निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करें अन्यथा बिना इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (ईटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (सीईटीपी) अथवा उचित इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट न होने पर अथवा निर्धारित मानकों का उल्लंघन कर संचालन करने पर बोर्ड द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

 माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/08/2019 के बिन्दु क्रमांक 21 (iii) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है :-

"All the Local Bodies and or the concerned departments of the State Government have to ensure 100% treatment of the generated sewage and in default to pay compensation which is to be recovered by the States/UTs, with effect from 01/04/2020. In default of such collection, the States/UTs are liable to pay such compensation. The CPCB is to collect the same and utilize for restoration of the environment."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के पालन हेतु प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा सीवेज का 100 प्रतिशत उपचार दिनांक 31 मार्च 2020 तक सनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना है।

पुनः माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2019 के बिन्दु क्रमांक 47 (i) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है:-

"100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं करने या उल्लंघन करते पाये जाने पर नियमानुसार इन्यायरमेन्ट्रल कम्पनसेशन (Environmental Compensation) अधिरोपित कर वसूली की जावेगी।

म.प्र. माध्यम/96327/2020

सदस्य सचिव

पीपुल्स समान्वार इंद्रीर 05/01/2020



पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.)-462016 फोन नं.: (0755) 2464428, 2466191, Fax: 0755-2463742

E-mail: hsmd117@gmail.com

क्रमांक 1033/प्रनिबो/ज.स./2020

भ्रोपाल, दिनांक 02.01.2020

# वैधानिक सूचना

मध्यप्रदेश स्थित समस्त दूषितजल उपचार संयंत्र (ईटीपी)/घरेलू जल-मल उपचार संयंत्र (एसटीपी)/संयुक्त दूषितजल उपचार संयंत्र (सीईटीपी) सर्वसंबंधितों को वैद्यानिक सूचना

इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (ईटीपी), सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एसटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (सीईटीपी) के अधिष्ठाता∕ऑपरेटर आदि सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 593/2017 (पर्यावरण सुरक्षा समिति विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में पारित आदेश दि. 28.08.2019 के बिन्दु क्रमांक 21(ii) के अनुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है:-

"SPCBs/PCCs may ensure remedial action against non-compliant CETPs or individual industries in terms of not having ETPs/fully compliant ETPs or operating without consent or in violation of consent conditions. This may be overseen by the CPCB. CPCB may continue to compile information on this subject and furnish quarterly reports to this Tribunal which may also be uploaded on its website."

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त उद्योगों/संस्थानों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार माननीय अधिकरण के निर्देशों का पिरापालन सुनिश्चित करें अन्यथा बिना इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (ईटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (सीईटीपी) अथवा उचित इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट न होने पर अथवा निर्धारित मानकों का उल्लंघन कर संचालन करने पर बोर्ड द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

 माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/08/2019 के बिन्दु क्रमांक 21 (iii) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है:-

"All the Local Bodies and or the concerned departments of the State Government have to ensure 100% treatment of the generated sewage and in default to pay compensation which is to be recovered by the States/UTs, with effect from 01/04/2020. In default of such collection, the States/UTs are liable to pay such compensation. The CPCB is to collect the same and utilize for restoration of the environment."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के पालन हेतु प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा सीव्रेज का 100 प्रतिशत उपचार दिनांक 31 मार्च 2020 तक सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना है।

 पुनः माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2019 के बिन्दु क्रमांक 47 (i) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है:-

"100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/ UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं करने या उल्लंघन करते पाये जाने पर् नियमानुसार इन्वायरमेन्टल कम्पनसेशन (Environmental Compensation) अधिरोपित कर वसली की जावेगी।

म.प्र. माध्यम/96327/2020

सदस्य सचिव

पीपुल्स समानार भोपाल ०५/०८/२०२०

